


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील सं. 587/07 जिला अजमेर

मे. सन्मति टेक्सटाइल्स बनाम स. वा. के. मे.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23.3.2015	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री सुनील शर्मा, सदस्य</u></p> <p>वकील प्रार्थी श्री वी.सी. सोगानी एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री जमील जई उपस्थित।</p> <p>श्री वी.सी. सोगानी ने निवेदन किया कि वे राज्य सरकार द्वारा जारी एमनेस्टी स्कीम, वर्ष 2015 दिनांक 18.03.2015 का लाभ लेने के क्रम में प्रस्तुत अपील को विद्वद्ग करना चाहते हैं। इस बाबत् श्री वी.सी. सोगानी ने प्रार्थना पत्र भी पेश किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। विभागीय प्रतिनिधि ने इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।</p> <p>अतः श्री वी.सी. सोगानी एडवोकेट का अपील को विद्वद्ग करने का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील जरिये विद्वद्गअल खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।</p>	